

प्र.सि. 131/19

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल जिला भीलवाड़ा

:: आ दे श ::

प्रार्थी के " खाता दुरुस्ती " प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सुरास व भू-अभिलेख निरीक्षक गीजा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार मांडल की अनुशंका के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील मांडल व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2073-2076 में खाता संख्या 651 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	सुरास	651	आजाद पिता बंशीलाल	आजाद उर्फ पप्पू पिता बंशी लाल शर्मा

क्रमांक / न्यायालय / 2018 / 28  
प्रतिलिपि:- 2019

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा  
दिनांक:- 12-6-19

- 1-तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2-प्रार्थी श्री आजाद उर्फ पप्पू पिता बंशीलाल उर्फ गिवासी- सुरास तहसील मांडल

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा